(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–69/1994 विरूद्ध आदेश दिनांक 29–09–1993 पारित द्वारा आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–47/अपील/89–90

.....

1– मुस0 मनौआ पत्नी छांगूर पटेल, ग्राम तितली,
2– वंश बहादुर तनय छांगूर पटेल, ग्राम तितली,
3– दयलुआ पत्नी देवीदीन ग्राम जौकी,
4– बिटिया पुत्री दद्दी ग्राम धोपारी,
5– मगमनिया पत्नी बुद्धी ग्राम बमुरी,
6– गौरी पत्नी रामसखा पटेल, गाम चमरोहॉ,
7– कैल्सुआ पत्नी रामप्रसाद, ग्राम महुआर,
8– अब्बों पत्नी भाईलाल पटेल, ग्राम देहरा
9– सुब्बो पत्नी बंशमणि पटेल, ग्राम बिठौली,
10– इन्दो पत्नी अयोध्या पटेल, सा0 गेदुरहट तह0 हनुमना,
जिला–रीवा, म0प्र0
आवेदक क्र0 1 लगायत 9 निवासी अन्तर्गत तहसील सिंहावत
जिला–सीधी, म0प्र0

———आवेदकगण

विरूद्ध

1– इन्द्रभान तनय बोधाली पटेल
2– लाल मोहम्मद तनय रज्जाक मुसलमान
निवासी– तितली, तहसील सिहावल
जिला–सीधी, म0प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1
पूर्व से एकपक्षीय, अनावेदक क्र0 2

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 02/05/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त रीवा संभाग द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–09–1993 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक ने मध्यप्रदेश कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध अधिनियम 1984) के प्रावधानों के अधीन प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी घोषित किये जाने का आवेदन पत्र तहसील न्यायालय, सिहावल में प्रस्तुत किया । तहसीलदार सिहावल ने मामले में कार्यवाही पश्चात अनावेदक को ग्राम तितली की भूमि खसरा नं0 1067 रकबा 4.50 एकड़ का भूमिस्वामी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत घोषित किया जाना आदेशित किया । तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध दो अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। एक अपील तेजमणी (जो अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक क्र0 1 था) ने प्रस्तुत की जो उनके न्यायालय में अपील प्रकरण क्रमांक 79/88–89 है तथा दूसरी अपील आवेदिका के पति मृतक छांगूर ने प्रस्तुत की जो अपील प्रकरण क्रमांक 49/88–89 है। अनुविभागीय अधिकारी ने मामले में कार्यवाही पश्चात् तहसीलदार के आदेश को विधिसंगत न पाते हुये निरस्त किया एवं प्रकरण तहसील न्यायालय को पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात आदेश पारित करने के लिये प्रत्यावर्तित किया । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपील आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई, जहां प्रकरण क्रमांक 47/अपील/89–90 पर दर्ज किया गया तथा पारित आदेश दिनांक 29–09–1993 द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कियाा गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत कर बताया कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, गोपदबनास का आदेश दिनांक 30.04.90 प्रत्यावर्तन आदेश था तथा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 46(1) के अनुसार वह अन्तरिम स्वरूप का था, जिसके विरूद्ध कानूनन अपील हो ही नहीं सकती थी। इस कारण भी अनावेदक क्र0 1 द्वारा प्रस्तुत अपील विधि के अनुसार प्रचलन योग्य नहीं थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय गंभीरतापूर्वक विचार न करते हुये आदेश पारित किया है। चूँकि प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 30.04.90 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में अपील विधि के अनुसार हो ही नहीं सकती थी और इस प्रकार उक्त अपील आयुक्त को सुनने का कोई विधिक अधिकार

नहीं था । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मध्यप्रदेश कृषि भूमियों के लिये प्रयोग की जा रही दखल रहित भूमियों पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबन्ध अधिनियम 1984 की धारा (3) के प्रावधान को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा देखा ही नहीं गया। जबकि प्रकरण में यह मुद्दा था कि दिनांक 02.10.84 को सम्बन्धित भूमि पर कौन सा व्यक्ति काबिज है और जब खतौनी आधार वर्ष 1958–59 से लगातार आवेदक पक्ष का कब्जा अंकित था तथा इसका कोई खण्डन अनावेदक इन्द्रभान पटेल द्वारा नहीं किया गया, तो पूर्व व पश्चातवर्ती कब्जे के निरन्तरता के सिद्धांत के अनुसार भी आवेदक पक्ष को उक्त दिनांक को सम्बन्धित भूमि में काबिज होने उपधारण की जाना चाहिये थी। इस संबंध में आवेदक अभिभाषक द्वारा न्याय दृष्टांत AIR 1966 सुप्रीम कोर्ट पृष्ठ 605 में प्रतिपादित किया गया है। अंत में आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक क्र0 1 के अभिभाषक द्वारा निगरानी प्रचलन योग्य न होने से निरस्त किया जाकर अधीनस्थ आयुक्त न्यायालय के आदेश को स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

5/ अनावेदक क्र0 2 पूर्व से ही एकपक्षीय है।

6/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्क सुने गये एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से विदित होता है कि अनावेदक ने विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के प्रावधानों के तहत प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी घोषित किये जाने का आवेदन–पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार ने अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अनावेदक को प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी घोषित किया जाना भी आदेशित किया है। इसलिये प्रकरण में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या अधिनियम के प्रावधानों के तहत पारित आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील सुनी जा सकती है अथवा नहीं। अधिनियम में अपील का प्रावधान नहीं है, इसलिये अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील नहीं सुनी जा सकती। प्रकरण में यह प्रश्न विचारनीय है कि क्या मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के तहत अपील में सुनवाई का अधिकार है? संहिता की धारा 44 में उल्लेखित है कि जहां अन्यथा उपबंधित किया गया हो उसके अतिरिक्त संहिता अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन पारित प्रत्येक आदेश के विरूद्ध अपील हो सकेगी। चूँकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अधिनियम के प्रावधानों के अधीन पारित नहीं है, इसलिये संहिता के प्रावधानों के अधीन भी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध अपील नहीं की जा सकती । इस तरह यह स्पष्ट है कि अधिनियम के अधीन पारित प्रश्नाधीन आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील न तो अधिनियम के अधीन सुनी जा सकती है और न ही संहिता के प्रावधानों

के अधीन सुनी जा सकती है। स्पष्टतः अनुविभागीय अधिकारी का विचाराधीन आदेश अधिकार क्षेत्र के बाहर पारित किया गया है जो कि विधि के विपरीत है।

राजस्व मण्डल ने संहिता की धारा 44, 50 के तहत विवेचना करते हुये 1992 रे0नि0 402 में यह दृष्टांत परिपादित किया है कि विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के उपबंधों के अन्तर्गत पारित किया गया आदेश अधिनियम के अन्तर्गत अपील का प्रावधान नहीं है। ऐसे आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील नहीं है तथा ऐसी अपील में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश शून्यवत है। आयुक्त रीवा संभाग रीवा ने अपने विस्तृत आदेश में पूर्ण विवेचना कर इसी स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया है, जो कि उचित है।

7/ अतएव उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.1993 विधिनुकूल एवं न्यायसंगत होने से यथावत रखा जाता है । पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,